न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 96/2022

1. शहीद पुत्र हुसैन खां (मृत्तक)
   1/1 रूहान पुत्र शहीद उम्र 14 साल नाबालिग जरिये माता खुद संजीदा बानो पत्नी शहीद जाति मेव निवासी जोतरूहल्ला तहसील पहाडी (डीग)
   1/2 मौ0 सरहान पुत्र शहीद उम्र 5 साल नाबालिग जरिये माता खुद संजीदा बानो पत्नी शहीद जाति मेव निवासी जोतरूहल्ला तहसील पहाडी (डीग)
   1/3 साहिब पुत्र शहीद उम्र 5 साल नाबालिग जरिये माता खुद संजीदा बानो पत्नी शहीद जाति मेव निवासी जोतरूहल्ला तहसील पहाडी (डीग)
   1/4 नाहिदा पुत्री शहीद उम्र 13 साल नाबालिग जरिये माता खुद संजीदा बानो पत्नी शहीद जाति मेव निवासी जोतरूहल्ला तहसील पहाडी (डीग)
   1/5 सादिया पुत्री शहीद उम्र 10साल नाबालिग जरिये माताखुद संजीदा बानो पत्नी शहीद जाति मेव निवासी जोतरूहल्ला तहसील पहाडी (डीग)
   1/6 शाबिया पुत्री शहीद उम्र 8 साल नाबालिग जरिये माता खुद संजीदा बानो पत्नी शहीद जाति मेव निवासी जोतरूहल्ला तहसील पहाडी (डीग)
   1/7 संजीदा बानो पत्नी शहीद जाति मेव निवासी जोतरूहल्ला तहसील पहाडी (डीग)
2. असरफी पत्नी हुसैन खां जाति मेव निवासी ग्राम जोतरूहल्ला तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. हुसैन खाँ पुत्र घीसा
2. जुबेदा पत्नी हुसैन खाँ
3. शौकत पुत्र हुसैन खां
4. लियाकत पुत्र हुसैन खां जाति मेव निवासी ग्राम जोतरूहल्ला तहसील पहाडी (भरतपुर)राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री यशपाल सैनी वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश बुन्देला वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 16/08/2024

निर्णय

प्रकरण न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 21/04/2022 के मुताबिक रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1319/0.54, 1661/0.43, 1682/0.61, 824/0.25, 1170/0.04, 1174/0.02, 1318/0.48, 1660/0.31, 1976/0.30, 2297/1787/0.65, 1558/0.45, 1423/1.16, 1708/0.43, 1241/1701/0.59, 2260/1704/0.13, 2264/1705/1.01, बांके ग्राम जोतरूहल्ला तहसील पहाडी में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 1 का पिता व 2 का पति है एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का पिता है। आराजी मुतदाविया पैतृक आराजी है प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति व पिता हुसैन खां के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा है प्रार्थी के पिता हुसैन खां की शादी प्रार्थी संख्या 2 असरफी के साथ हुई थी। जिससे एक मात्र प्रार्थी पैदा हुया तथा उसके बाद प्रार्थी के पिता हुसैन खां ने दूसरी शादी अप्रार्थी संख्या 2 जुबैदा से की जिसके दो सन्ताने सौकत व लिकायत पैदा हुये जो मुकदमा में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 दिखाये गये है आराजी मुतदाविया को प्रार्थीगण अपने पिता/पति के साथ रहकर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। हुसैन खां की दोनो पत्नियों में विवाद होने पर करीब 15 वर्ष प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि देकर अलग कर दिया । इस प्रकार आराजी में प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा है इस प्रकार प्रार्थीगण अपने 1/6–1/6 हिस्से की भूमि को खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे और आज भी मौके पर प्रार्थीगण का अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड सम्पूर्ण रकबे की बाबत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी का इन्द्राज गलत दर्ज हो रहा है। प्रार्थीगण उक्त गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको आराजी के 1/6–1/6 हिस्से का वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण आराजी मुतदाविया के अपने–अपने हिस्से अपने पिता व पति द्वारा करीब 15 वर्ष पूर्व दिये जाने के समय से ही निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर कब्जा व काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आराजी की बाबत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी का इन्द्राज हो रहा है जिसका गलत फायदा अप्रार्थी संख्या 2,3,4 उठाना चाहते है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को बहलाफुसला कर प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी से महरूम करने के उद्देश्य से आराजी मुतदाविया को अपने नाम कराना चाहते है और कुछ आराजी को दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल करना चाहते है तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते है तथा आराजी मुत0 में से कुछ जमीन को बेचकर बाकी की सम्पूर्ण जमीन को अप्रार्थी संख्या 2,3,4 अपने नाम बयनामा कराना चाहते है। जिसके लिये उन्होने सौदेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी ऐलानिया धमकी दिनांक 12/01/2018 को स्पष्ट शब्दों में दी है यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि सम्भव नहीं हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण जरिये हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। प्राईमाफैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति हम प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

चन्द रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे काश्त प्रार्थीगण में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करे आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल ना करे एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी संख्या असरफी के नुत्फे से अप्रार्थी संख्या 1 के तीन सन्ताने प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 लडकी पैदा हुई थी जिन्हे छोडकर अरसा करीब 32 साल पूर्व असरफी प्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से तलाक लेकर और शेष सभी संबन्ध तर्क कर चली गई और अपने पीहर कालियाबास में रहने लग गई तथा प्रार्थी संख्या 2 असरफी जुम्मा पुत्र लटूर जाति मेव निवासी घाघस तहसील फिरोजपुर झिरका के यहां करीब 25 साल पूर्व खानदाज हो गई और इस समय गांव घाघस में जुम्मा के साथ बतौर पत्नी रह रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दोनो पुत्रीयों शहीदन , रहीसन की शादी कर दी है तथा बाल बच्चे है जो गांव नगीना में ब्याही है तथा अपनी ससुराल में सुख पूर्वक रह रही है। प्रार्थी संख्या 1 ग्राम कालीयावास में अपने नाना मामा के पास करीब 32 साल पूर्व से ही रह रहा है और इसलिए प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को कभी भी आराजी से कोई संबन्ध नही रहा प्रार्थीगण का आराजी मुतदाविया से कभी किसी प्रकार का संबन्ध नहीं रहा । आराजी मुतदाविया पर अप्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त है तथा दो बोरिंग लगे हुये है अप्रार्थी संख्या 1 के दूसरी पत्नी से सात सन्ताने हुई जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ रह रही है। मुस्लिम कानून के मुताबिक एक मुसलमान को जन्मजात कोई अधिकार सम्पत्ति में प्राप्त नहीं होते है। आराजी मुतदाविया पर अप्रार्थी संख्या 1लगायत 4 शान्ति पूर्ण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण का आराजी से करीब 32 साल पूर्व अपने संबन्ध कर लेने से कोई संबन्ध नहीं है। प्रार्थीगण 1 व 2 अप्रार्थी संख्या 1 व उसके दोनो बच्चों को नाजायज व गलत तरीके से तंग व परेशान करते रहते है जिसकी बाबत उक्त प्रकरण में पूर्व दिनांक 05/02/2007 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां के यहां भी शहीद बनाम हुसैन दावा पेश किया जो दिनांक 24/09/2007 को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज हो गया। इसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 पेश किया जो दिनांक 12/06/2009 को अदम हाजरी में खारिज हो गया। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अदालत को गुमराह करते हुये तथ्यों को छिपाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा एक 125 सीपीसी के तहत मैनटेन्स का मुकदमा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फिरोजपुर झिरका में पेश किया जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से एक मुश्त राशि 10 लाख रूपये लेकर प्रार्थीगण ने अपने संबन्ध हमेशा–हमेशा के लिये तक कर लिये जिसके आधार पर उक्त अदालत श्रीमानजी द्वारा दिनांक 04/07/2009 को खारिज कर दिया। इस विनाय पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण:–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 1 का पिता व दो का पति एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 का पिता है। इस प्रकार आराजी मुतदाविया पैत्रिक सम्पत्ति है। इस प्रकार आराजी मुतदाविया में प्रार्थीगण का हक बनता है या नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य आदि लेने के उपरान्त तय होगा। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त आराजी में हित निहित है यदि अप्रार्थीगण आराजी को खुर्द बुर्द (बेचान) करते है तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में ही निहित है।
3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08/01/2018 को ताफैसला मुकदमा कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/08/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner